राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
''वित भवन'' जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः–एफ.2(ग)(लिंक नं0–5054)/अलेसे–I/ 1968-1971 दिनांकः– 05/02/2024

आदेश

श्री श्रीराम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I मेरिट नं. 55/94 कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त आवेदनानुसार श्री राकेश वर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I मेरिट नं. 383/94 के प्रथम चयनित वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के पश्चात् उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे है, जिनकी सेवापुस्तिका अनुसार प्राप्त वेतन, वेतनवृद्धि का तुलनात्मक विवरण निम्नप्रकार हैः–

विवरण	नाम वरिष्ठ कार्मिक श्रीराम शर्मा (55/1994)	नाम कनिष्ठ कार्मिक राकेश वर्मा (383/1994)
कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	19.02.1996	09.04.1996
दिनांक 01.09.1996 को वेतन (5000–8000)	5000/–रु.	5000/–रु.
आगामी वेतन वृद्धि तिथि एवं वेतन	01.09.1997 को 5150/–रु.	21.01.1998 (142 दिवस असाधारण अवकाश के कारण) को 5150/–रु.
आगामी वेतन वृद्धि तिथि एवं वेतन	01.09.1998 को 5300/–रु.	21.01.1999 को 5300/–रु.
	01.09.1999 को 5450/–रु.	21.01.2000 को 5450/–रु.
	01.09.2000 को 5600/–रु.	19.04.2001 को 5600/–रु. (89 दिवस के असाधारण अवकाश के कारण)
	01.09.2001 को 5750 /–रु.	19.04.2002 को 5750/–रु.
	01.09.2002 को 5900/–रु.	19.04.2003 को 5900/–रु.
	01.09.2003 को 6050/–रु.	19.04.2004 को 6050/–रु.
	01.09.2004 को 6200/–रु.	....
प्रथम चयनित वेतनमान देयता तिथि	**19.02.2005**	**09.04.2005**
प्रथम चयनित वेतनमान वेतन निर्धारण (5500–9000)	6375/–रु. (19.02.2005) को (एक वेतन वृद्धि एवं आगामी स्टेज पर)	6375/–रु. (09.04.2005) को (एक वेतन वृद्धि एवं आगामी स्टेज पर)
आगामी वेतन वृद्धि तिथि एवं वेतन	**01.09.2005**	**19.04.2005**
आगामी वेतन वृद्धि तिथि को वेतन	6550/–रु.	6550/–रु.

उक्त तुलनात्मक विवरणानुसार श्री राकेश वर्मा तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (कनिष्ठ कार्मिक) श्री श्रीराम शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (वरिष्ठ कार्मिक) से दिनांक 19.04.2005 को चयनित वेतनमान मंजूर करने के बाद आगामी वेतन वृद्धि पर अधिक वेतन प्राप्त करने लगे। उक्त विसंगति प्रत्यक्ष रूप से चयन वेतनमान मंजूर करने के कारण हुई है। जिसके फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन को कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर बढाये जाने के संबंध में राजस्थान सेवा नियम के नियम 32 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभाग से जारी आदेश कमांक एफ.(1)वित्त/ग्रुप–2/91–II दिनांक 02.04.1994 के अनुसरण में श्री श्रीराम शर्मा (वरिष्ठ कार्मिक) का वेतन दिनांक 19.04.2005 से 6550/–रू0 श्री राकेश वर्मा (कनिष्ठ कार्मिक) के अनुरूप निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री शर्मा की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 19.04.2006 अर्थात एक वर्ष पश्चात् देय होगी।
उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

क्रमांकः—एफ.2(ग)(लिंक नं0—5054)/अलेसे—I/ 1968 — 1971 दिनांकः— 05/02/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर पिन कोड—302019 को मूल सेवापुस्तिका—एक संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. श्री श्रीराम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. निजी/गार्ड फाईल।

(कुसुम मीणा)
उप निदेशक (कार्मिक— I)